(1)

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15/एम 1–111/2014

<u>प्रेस नोट</u>

प्रायोजक निकाय मिल्ली ट्रस्ट, गली न0– 01, आरामनगर, कुतुब रोड, पहाडगंज, नई दिल्ली (शााखा कार्यालय स्टेडियम रोड, मधुबनी, बिहार) को निजी क्षेत्र में शांजा विश्वविद्यालय, मधुबनी की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो सकेगी एवं विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

17/06/2026

(राजीव रौशन)
सचिव

2

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15/एम 1–107/2020

प्रेस नोट

प्रायोजक निकाय अम्बेदकर इंस्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट, छितनावाँ, दानापुर, पटना–801503 को निजी क्षेत्र में वी0वी0 गिरी विश्वविद्यालय, दरौंधा, सीवान की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो सकेगी एवं विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

17/06/2026

(राजीव रौशन)
सचिव

3

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15 / एम 1–93 / 2024

प्रेस नोट

प्रायोजक निकाय एस०ए० फाउंडेशन, श्री कृष्णापुरी, न्यू एरिया, नवादा (पो०+थाना+जिला–नवादा, पिन–805110) को निजी क्षेत्र में एस०ए० विश्वविद्यालय, अशोक नगर, नवादा, बिहार की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो सकेगी एवं विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

17/06/2026

(राजीव रौशन)
सचिव

S.A. Foundation Press note 2026-27

(4)

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15 / एम 1–21 / 2020

प्रेस नोट

प्रायोजक निकाय हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना को निजी क्षेत्र में हिमालय विश्वविद्यालय, पालीगंज, पटना की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो सकेगी एवं विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

17/06/2020

(राजीव रौशन)
सचिव

5

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15 / एम 1–117 / 2022

प्रेस नोट

प्रायोजक निकाय सीतयोग एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जी–1, कुंती विला अपार्टमेंट, (पूनम गैस गोदाम के नजदीक) अंबेदकर पथ, खाजपुरा, पटना को निजी क्षेत्र में सीतयोग विश्वविद्यालय, जसोईया मोड़, औरंगाबाद, बिहार की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो सकेगी एवं विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

17/06/2026

(राजीव रौशन)
सचिव

Sityog University Press note 2026-27

6

बिहार सरकार
कृषि विभाग।
प्रेस नोट

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित परम्परागत कृषि विकास योजना (60:40) के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में 3060.00 लाख (तीस करोड़ साठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना अन्तर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना है, ताकि मिट्टी को दीर्घकालिक उर्वरता एवं जलवायु परिवर्तन में अनुकूलन में मदद मिल सके। जैविक खेती में मुख्य रूप से उर्वरता प्रबंधन हेतु कार्बनिक खाद (कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट), हरित खाद एवं जैव उर्वरक इत्यादि का प्रयोग तथा कीट एवं रोगों के प्रबंधन हेतु बायोपेस्टीसाईड का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती से उत्पादित होने वाले उत्पाद रसायन/कीटनाशी के अवशेष से मुक्त रहेंगे तथा उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
<u>कृषि विभाग।</u>

<u>प्रेस नोट</u>

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय खाद्य तेल–तेलहन मिशन अन्तर्गत कुल 3618.62700 लाख (छत्तीस करोड़ अठारह लाख बासठ हजार सात सौ) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में तेलहन फसलों के प्रजनक बीज की खरीद कर आधार बीज उत्पादन करना, प्रत्यक्षण एवं बीज वितरण कराकर फसलों के आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना तथा गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(8)

बिहार सरकार
कृषि विभाग।
प्रेस नोट

चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी0पी0आर0) अंतर्गत कृषोन्नति योजना के तहत एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कुल 14899.314 लाख (एक सौ अड़तालीस करोड़ निन्यानवे लाख एकतीस हजार चार सौ) रूपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

योजना का कार्यान्वयन बिहार के सभी 38 जिलों में किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य विभागीय पदाधिकारियों/प्रसार कर्मियों तथा राज्य के किसानों को फसल उत्पादन से संबंधित नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा उनकी क्षमता संवर्द्धन कराना जिससे फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाकर कृषको की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के माध्यम से स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान तथा अन्य स्थायी पदाधिकारियों को नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाना है।

योजना अंतर्गत बामेती के स्तर पर कृषि प्रसार पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, परिभ्रमण एवं सेमिनार एवं स्थापना मद में व्यय किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला के अंदर किसानों का प्रशिक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, किसान मेला, किसान गोष्ठी, किसान पाठशाला, प्रसार पदाधिकारियों एवं वैज्ञानिकों का संयुक्त भ्रमण आदि कार्यों पर व्यय किया जाएगा।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग,बिहार, पटना।

9

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेस नोट

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली एवं पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना के बीच "प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958" के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं रख–रखाव कार्य हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) किया जाना हैं। इससे राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों के पर्यटकीय सुविधाओं के संरक्षण एवं विकास किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

10

प्रेस नोट
वित्त विभाग

बिहार यात्रा–भत्ता नियमावली, 1949 के नियम–69(2) को विलोपित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

18.6.26

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

3A\LF 25\Sanlekh\press note

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025–2026 एवं 2026–2027 तक के कुल व्यय की स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत हुए अवधि विस्तार के सापेक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA)– द्वितीय चरण की समयावधि को 2025–2026 एवं 2026–2027 तक के लिये विस्तारित किये जाने के साथ लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत अतिरिक्त 2467.00 लाख की स्वीकृति प्रदान दी गई है। इसके तहत व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में प्रावधानित चिन्हित परिवार के अतिरिक्त छूटे हुए APL परिवारों को 12,000/- (बारह हजार) रुपये की प्रोत्साहन राशि "लोहिया स्वच्छता योजना" मद से देय होगी । इसके अलावे संस्थागत एवं प्रशासनिक व्यय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन में नवोन्मेषी तकनीक वाले अधोसंरचना का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा वैसे कार्य जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में सम्मिलित नहीं हैं तथा बाढग्रस्त क्षेत्रों एवं विषम भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभावी स्वच्छता तकनीक वाले अधोसंरचना तथा बाढ अनुकूल शौचालय का निर्माण, इस हेतु नवोन्मेषी तकनीक का प्रयोग से अधोसंरचना निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य भी किया जाएगा ।

(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

12

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की धारा 12 (1) में निहित प्रावधानों के तहत गठित बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को निरसित करते हुए विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 13 (1) के प्रावधान के अनुरूप विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना, बिहार, 2026 की कंडिका–8 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य अंतर्गत बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

राज्य सरकार को विकसित भारत–जी राम जी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देगा । आवधिक रूप से अनुश्रवण एवं निवारण तंत्रों की समीक्षा की सिफारिश करेगा ।

प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

13

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना बिहार, 2026 अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करना है । यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी । इसका मुख्य लक्ष्य विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है ।

विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत– जी राम जी) योजना बिहार, 2026 अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति के प्रत्यायोजन कर क्षेत्रीय स्तरों पर योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन एवं सुसम्पादन सुनिश्चित हो सकेगा ।

प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

14

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

विभागीय अधिसूचना संख्या 3064 दिनांक–23.08.2007 द्वारा बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्त्ती नियमावली, 2007 यथा संशोधित 2020 एवं 2023 एवं जल संसाधन विभाग का अधिसूचना संख्या–1174 दिनांक–07.03.2023 प्रख्यापित होने के उपरान्तर्गत निर्धारित नये पद संरचना के अनुरूप डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (मूल कोटि) के पदों का कार्यालयवार पुनर्गठन औचित्यपूर्ण आवश्यक था। क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू संचालन हेतु कनीय अभियंता (मूल कोटि) में स्वीकृत कुल पदों को सुव्यवस्थित कर स्वीकृत बल के अधीन रहते हुए जिला, परिक्षेत्र, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मत्स्य अनुसंधान केन्द्र तथा निदेशालय के कार्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार पदों के कार्यालयवार चिन्हितीकरण की आवश्यकता को देखते हुए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (मूल कोटि) में स्वीकृत कुल 40 पदों के चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई हैं।

सचिव

15

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) छपरा सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 76,48,90,752/– (छिहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार सात सौ बावन रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

छपरा सिवरेज नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :– छपरा सिवरेज नेटवर्क परियोजना में गृह से निकलने वाले सिवरेज को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 7.800 कि0मी0 सिवरेज नेटवर्क, 03 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 4.985 कि0मी0 राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, **जिससे छपरा** शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क की सुविधा प्राप्त होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(16)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

अर्बन चैलेंज फंड (यू.सी.एफ.) मिशन में भागीदारी हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर निकायों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भारत सरकार द्वारा अर्बन चैलेंज फंड (यू.सी.एफ.) मिशन के लिए एक लाख करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी गयी है, जिसमें बिहार राज्य के लिए ₹2,900 करोड़ (उनतीस सौ करोड़ रूपये) कर्णांकित है। इस मिशन के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत का लागत राशि का वहन किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत राशि का प्रबंध प्रत्येक नगर निकायों को ऋण या बॉण्ड आदि के माध्यम से करना होगा। नगर निकायों की सुविधा हेतु भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु हुडको का चयन किया है।

उक्त मिशन के तहत नगर निकायों के द्वारा ऐसी योजनाओं का चयन किया जायेगा, जिससे राजस्व का सृजन होगा तथा राजस्व सृजन का दीर्घकालीन स्त्रोत प्राप्त हो सकेगा। इससे नागरिक सुविधाओं एवं रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

17

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त को आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष तथा जिला पदाधिकारी को पदेन उपाध्यक्ष नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके फलस्वरूप आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के अध्यक्ष जिला स्तर से उच्च स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में होगी, जिससे अंतर–विभागीय और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

18

।। प्रेस नोट ।।

राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बारहवें ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप के रूप में रोहतास जिला अन्तर्गत डेहरी में ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का क्षेत्र एवं विकास प्रक्रिया के चयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के फलस्वरूप रोहतास जिला अन्तर्गत डेहरी में टाउनशिप का विकास भूमि क्रय, भूमि अधिग्रहण एवं टाउन प्लानिंग स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा, जिससे सुनियोजित शहरीकरण एवं मास्टर प्लान–आधारित विकास सुनिश्चित होगा, नये आर्थिक गतिविधि केन्द्रों का निर्माण के साथ–साथ जिले की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिर्वतन होगा। साथ ही नये रोजगार का सृजन होगा तथा नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाऐं मिलेंगी। इस प्रकार डेहरी में सैटेलाईट टाउनशिप के विकास से सासाराम एवं डेहरी पर जनसंख्या का भार कम होगा एवं शहरी विस्तार योजनाबद्ध रूप से हो सकेगा एवं निजी/संस्थागत निवेश में वृद्धि होगी।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना

।। प्रेस नोट ।।

"छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्र" के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उक्त आयोजना क्षेत्रों में मास्टर प्लान आधारित विकास किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में सुनियोजित आधारभूत संरचनाओं तथा ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप का तेजी से विकास संभव हो सकेगा, जिससे उक्त क्षेत्र में निजी एवं संस्थागत निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

इंडिपेंडेन्ट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराने हेतु कुल 4776.05 लाख (सैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख पाँच हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत 60मी. से 250मी. तक की लंबाई के कुल 479 पुलों का इंडिपेंडेन्ट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराए जाने का प्रस्ताव है। जिसके लिए राज्य के गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कॉलेज (एन0आई0टी0 पटना, एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर, बी0सी0ई0 भागलपुर) एवं बी0आई0टी0 सिन्दरी से प्राप्त दर में से न्यूनतम दर का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है। प्राक्कलन में लोड टेस्ट का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए आई0आई0टी0, पटना एवं आई0आई0टी0, दिल्ली से प्राप्त दर के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4(ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए ईशा फाण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारुप (MOU) की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्राचीन केन्द्र रहा है। राज्य में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चालू की गयी हैं। मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्राचीन अंग जनपद के रूप में पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। तारापुर, मुंगेर शिव परिपथ के मुख्य केन्द्रों में से एक है, जो काँवरिया पथ पर विद्यमान है। इस पथ पर प्रतिवर्ष विशेषकर श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण /काँवरिया सुल्तानगंज से देवघर जलाभिषेक हेतु पैदल यात्रा करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मुंगेर जिले में पर्यटकीय, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मंत्रिपरिषद् द्वारा मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4(ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए ईशा फाण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

24/6/2024

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग से केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु0–34,33,26,000/–(चौतीस करोड़ तैतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय, योजना की राशि का 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा। इस योजना से आधारभूत संरचना सुविधा के अन्तर्गत न्यायिक पदाधिकारियों हेतु पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु0–34,33,26,000/–(चौतीस करोड़ तैतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

17.02.16

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग से केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के परिसर में 20 कोर्ट भवन (G+5) के निर्माण कार्य हेतु रु0–53,02,26,000/–(तिरेपन करोड़ दो लाख छब्बीस हजार रुपये) का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय, योजना की राशि का 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा। इस योजना से आधारभूत संरचना सुविधा के अन्तर्गत न्यायिक पदाधिकारियों हेतु पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के परिसर में 20 कोर्ट भवन (G+5) के निर्माण कार्य हेतु रु0–53,02,26,000/–(तिरेपन करोड़ दो लाख छब्बीस हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\Prem Prakash\Ajay Ji-1\scheme administrative sanction\mantri parisad\press note.doc1.doc

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग से केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के परित्यक्त एस0डी0जे0एम0 कोर्ट के भू–खण्ड पर प्रस्तावित 15 कोर्ट भवन (G+7) के निर्माण कार्य हेतु रु0–39,04,13,000/–(उनचालीस करोड़ चार लाख तेरह हजार रुपये) का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय, योजना के राशि का 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा। इस योजना से आधारभूत संरचना सुविधा के अन्तर्गत न्यायिक पदाधिकारियों हेतु पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के परित्यक्त एस0डी0जे0एम0 कोर्ट के भू–खण्ड पर प्रस्तावित 15 कोर्ट भवन (G+7) के निर्माण कार्य हेतु रु0–39,04,13,000/–(उनचालीस करोड़ चार लाख तेरह हजार रुपये) रूपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

17-8-16

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\Prem Prakash\Ajay Ji-1\scheme administrative sanction\mantri parisad\press note.doc1.doc

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग से केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु0–38,38,31,000/–(अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख इकतीस हजार रुपये) का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय, योजना की राशि का 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा। इस योजना से आधारभूत संरचना सुविधा के अन्तर्गत न्यायिक पदाधिकारियों हेतु पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु0–38,38,31,000/–(अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख इकतीस हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।

17-06-26

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26

: प्रेस नोट :

राज्य सरकार द्वारा राजस्व सेवा के कार्यो के प्रति कोई अभिरूचि नहीं लेने के कारण श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छारिता पर रोक लगाने एवं प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्रीमती आनन्द को सरकारी **सेवा से बर्खास्तगी**, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने हेतु स्वीकृति।

हस्ताक्षर :

नाम :–जय सिंह

पदनाम : सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

गया जिलान्तर्गत बोधगया अंचल के मौजा—बोधगया, थाना सं0—359, खाता सं0—1021 (नया), खेसरा सं0—3117 (नया), रकवा—34 डी0 बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि कतिपय शर्तों के अधीन नामग्याल तांत्रिक कॉलेज (Personal Monastery H.H. of the Dalai Lama) को 50 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

28

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया है।

➢ समझौता ज्ञापन (MoU) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा :–

- सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं Microsoft India Private Limited के बीच एक स्ट्रेटजिक कोलाबोरेशन फ्रेमवर्क स्थापित करना है, ताकि क्लाउड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती डिजिटल तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से राज्य के डिजिटल परिवर्तन एजेंडे को सपोर्ट किया जा सके।
- राज्य में एक समावेशी और विश्सनीय डिजिटल शासन को बढ़ावा देना।
- राज्य में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढ़ाँचे का विकास करना जिससे राज्य में तकनीकी सशक्तीकरण हो सके।
- नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं एवं सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना।
- Microsoft के तकनीकी प्लेटफॉर्म, वैश्विक विशेषज्ञता और नवाचार कार्यक्रमों का लाभ उठाना।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु CoRover प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया है।

समझौता ज्ञापन (MoU) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा :-

- BharatGPT की क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक संप्रभु AI मॉडल (BiharGPT) विकसित करना।
- AI – First Governance एवं नागरिक सेवा परिवर्तन को सक्षम बनाना।
- व्यापक स्तर पर AI कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम स्थापित करना।
- AI क्रेडिट एवं सहायता के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
- बिहार में एक एप्लाइड AI विश्वविद्यालय (applied AI University) की स्थापना की संभावनाओं का अन्वेषण करना।
- निवेश, रोजगार सृजन और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड (Sarvam) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया है।

- समझौता ज्ञापन (MoU) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा :–
  - राज्य में हर नागरिक और सरकारी अधिकारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की पहुँच को सुलभ एवं आसान बनाना तथा एआई के बेहतर उपयोग और विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
  - भारत में बने बुनियादी (Fundamental) एआई मॉडल्स और एप्लिकेशन्स तक राज्य के विभागों की पहुँच सुनिश्चित करना।
  - बिहार के स्वीकृत शोधकत्ताओं को भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में अपनी एआई रिसर्च क्षमताओं को मजबूत करने में सक्षम बनाना।
  - स्थानीय भाषाओं में स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजकर, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एआई संचालित शासन के मॉडल के रूप में स्थापित करना।
  - सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एक स्थानीय भागीदार इकोसिस्टम तैयार करना ताकि लम्बे समय तक एआई विकास को बल मिले।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google Cloud India Pvt. Ltd.) एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया है।

➢ समझौता ज्ञापन (MoU) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा :–

- बिहार सरकार में एआई अवसंरचना के निर्माण हेतु नीतिगत साझेदारी, जिसमें क्लाउड कम्प्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एवं जेनरेटिव एआई प्रौद्योगिकियों का समावेश सम्मिलित है।
- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात प्रबंधन, शासन–व्यवस्था, लोक सेवा प्रदायगी, खेल, स्मार्ट सिटी, पर्यटन एवं वित्तीय सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) का क्रियान्वयन।
- राज्य सरकार के क्लाउड एवं मशीन लर्निंग इंजीनियरों को गुगल क्लाउड सर्टिफिकेशन स्किलिंग एवं उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्ष बनाना।
- राज्य के इंजीनियरिंग, पॉलिटेकनिक एवं मेडिकल कॉलेज के लिए एआई स्किलिंग से संबंधित विशेष पाठ्यक्रमों का विकास, प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना एवं मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग में सहयोग करना।
- डेटा संप्रभुता, सुरक्षा, अनुपालन हेतु Sovereign Cloud विकसित करने के लिए कॉन्सेप्ट नोट एवं ज्ञान–सत्र प्रदान करना।
- नागरिक सेवाओं हेतु एकीकृत Data Hub एवं पिपुल इम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म (People Empowerment Platform) के निर्माण में सहयोग; जो Google Cloud AI/ML Tools पर आधारित हो एवं सरकारी योजनाओं के जन–जागरूकता अभियान को सक्षम बना सके।
- राज्य सरकार की क्लाउड एडोपशन पॉलिसी (Cloud Adoption Policy) के निर्माण में परामर्श/सहयोग करना।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या–11/यो०–04/2025

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) योजनान्तर्गत राज्य के PVTGs के लिए 06 जिलों में कुल 15 छात्रावास के निर्माण एवं संचालन हेतु केन्द्रांश की राशि कुल ₹24,75,00,000/– (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र एवं राज्यांश की राशि कुल ₹16,50,00,000/– (सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र अर्थात कुल ₹41,25,00,000/–(एकतालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान किया गया है।

इस योजनांतर्गत PVTGS जनजाति को आधारभूत सुविधा संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नेताजी एवं सुभाषचन्द्र बोस के छात्रावास के तर्ज पर छात्रावास संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में Particularly Vulnerable Tribal Groups (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह) (PVTGs) के अंतर्गत मुख्य रूप से सात जनजाति यथा असुर, विरहोर, विरजिया, हिलखारिया, मालपहाड़िया, सौर्यापहाड़िया, महेन्द्र पहाड़िया एवं सवर जनजाति आते है, जो बिहार के 15 जिलों में रहते हैं जिनकी कुल आबादी लगभग 8500 है। इस कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 06 जिलों यथा कैमूर, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर एवं पूर्णियां में 15 छात्रावास का निर्माण एवं संचालन किया जाना है। उक्त छात्रावास में 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को अधिवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजनान्तर्गत छात्रावास के निर्माण एवं संचालन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव,

33

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या–11/यो०–03/2025

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) योजनान्तर्गत राज्य के 08 जिलों में कुल 19 छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन हेतु निर्गत की गयी निविदा की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रांश की राशि कुल ₹36,25,00,000/–(छत्तीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र एवं राज्यांश की राशि कुल ₹24,16,99,000/– (चौबीस करोड़ सोलह लाख निन्यानवे हजार) रूपये मात्र अर्थात कुल ₹60,42,00,000/–(साठ करोड़ बयालीस लाख) रूपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान किया गया है।

इस योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति को सामाजिक आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं आजीविका में व्याप्त अंतर को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम में 17 मंत्रालय को शामिल किया गया है जिसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए KGBV (कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय) एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास के तर्ज पर छात्रावास संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 08 जिलों (पं० चम्पारण, कटिहार, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, रोहतास एवं पूर्णियाँ) में सौ छात्रों की क्षमता वाले 19 छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन के लिए अनावर्ती मद् मे कुल ₹60,42,00,000/–(साठ करोड़ बयालीस लाख) रूपये मात्र की राशि खर्च की जायेगी। उक्त छात्रावास में 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को अधिवास की सुविधा प्रदान की जायेगी। इस योजनान्तर्गत छात्रावास के निर्माण एवं संचालन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव,

विभाग का नाम – श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक संबंधों से संबंधित अधिनियमों ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 एवं औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को निरसित करते हुए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 अधिसूचित किया गया है, जिसे दिनांक–21.11.2025 से लागू किये जाने की अधिसूचना भी निर्गत कर दी गयी है।

2) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित अधिनियमों का प्रवर्त्तन किया जा रहा है एवं इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने हेतु बिहार एवं उड़ीसा ट्रेड यूनियन रेग्यूलेशन, 1928, बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946 एवं बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली, 1961 लागू है।

3) केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के लागू करने से संहिता की धारा 104 की उपधारा (1) के प्रावधानों के आलोक में निरसित हो रहे अधिनियमों की संगत राज्य नियमावलियों को निरसित करते हुए औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 को लागू किया जाना अपरिहार्य है।

4) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कामगारों के कौशल उन्नयन हेतु Re-skilling fund का प्रावधान रखा गया है। इस fund का उपयोग छँटनीग्रस्त कामगारों के कौशल उन्नयन हेतु किया जायेगा।

5) संहिता के प्रावधानों के अनुसार पूर्व से गठित औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों के स्थान पर राज्य में दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन किये जाने का प्रावधान है, जिसमें एक सदस्य न्यायायिक सदस्य होंगे एवं दूसरे सदस्य प्रशासनिक पृष्ठभूमि के होंगे। संहिता के लागू होने से वाद के निपटारे में तेजी आयेगी।

6) उपयुर्क्त तथ्यों के आलोक में औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

18/6/2026

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

विभाग का नाम – श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंधन अधिनियम, 1952, रोजगार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959, मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961, उपदान अधिनियम, 1972, सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 एवं असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को निरसित करते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अधिसूचित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को दिनांक–21.11.2025 से लागू किये जाने की अधिसूचना भी निर्गत कर दी गयी है।

2) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित अधिनियमों का प्रवर्त्तन किया जा रहा है एवं उपरोक्त वर्णित अधिनियमों में से राज्य में बिहार मातृत्व प्रसुविधा नियमावली, 1964, बिहार उपदान नियमावली 1972, बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2015 लागू हैं, जबकि अन्य निरसित अधिनियमों की केन्द्रीय नियमावलियाँ हैं।

3) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने के उपरांत संगत राज्य नियमावलियों को निरसित करते हुए सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2026 को लागू किया जाना अपरिहार्य है।

4) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अन्तर्गत कामगारों के सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधानों यथा उपदान भुगतान, मातृत्व प्रसूविधा, कर्मचारी प्रतिकर, भविष्य निधि से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है, इसके अतिरिक्त संहिता में असंगठित क्षेत्र के कामगारों, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों, प्लेटफार्म कामगारों, गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2026 के अन्तर्गत रोजगार की जानकारी और अनुश्रवण एवं संबंधित कैरियर केन्द्र को रिक्तियों का प्रतिवेदित करने और नियोक्ता द्वारा विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

5) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने के पश्चात सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले एक कानून से विनियमित किये जायेंगे, जिससे प्रवर्त्तन तंत्र के साथ–साथ कामगारों का भी सुविधा होगी।

6) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में Web based inspection system का प्रावधान लाया गया है, जिससे निरीक्षण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आयेगी। साथ ही अधिकारियों की जबाबदेही निर्धारित हो सकेगी।

7) उपयुर्क्त तथ्यों के आलोक में सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

18/6/2026

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

विभाग का नाम – श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

केन्द्र सरकार द्वारा कामगारों के स्वास्थ्य, कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं कार्यदशाओं से संबंधित अधिनियमों यथा कारखाना अधिनियम, 1948, मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961, बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की स्थिति) अधिनियम, 1966, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 सहित कुल 13 श्रम अधिनियमों को निरसित करते हुए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 अधिसूचित करते हुए दिनांक–21.11.2025 से लागू किया गया है।

2) केन्द्र सरकार द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के लागू करने से संहिता की धारा 133 और 135 प्रावधानों के आलोक में निरसित हो रहे अधिनियमों की संगत राज्य नियमावलियों को निरसित करते हुए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 को लागू किया जाना अपरिहार्य है।

3) संहिता के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रतिष्ठान को अब केवल एक मात्र निबंधन कराने की आवश्यकता होगी। Ease of doing Business में भी सहयोग प्राप्त होगा। नये Startups के लिए संहिता में Third Party Audit एवं Certification का प्रावधान रखा गया है। ठेकेदार, कारखाना एवं औद्योगिक परिसर हेतु एकल अनुज्ञप्ति का प्रावधान।

4) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 में Web based inspection system का प्रावधान लाया गया है, जिससे निरीक्षण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आयेगी। साथ ही अधिकारियों की जबाबदेही निर्धारित हो सकेगी।

5) उपयुर्क्त तथ्यों के आलोक में बिहार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

18/6/2026

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक–805, दिनांक–17.06.2016 के आलोक में।

विभाग का नाम – श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी एवं भुगतान से संबंधित अधिनियमों मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को निरसित करते हुए मजदूरी संहिता, 2019 अधिसूचित किया गया है। मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 03 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संहिता के प्रावधानों को दिनांक–21.11.2025 से लागू किये जाने की अधिसूचना भी निर्गत कर दी गयी है।

केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 के लागू करने से संहिता की धारा 69 की उपधारा 1 के प्रावधानों के आलोक में निरसित किये गये अधिनियमों की संगत राज्य नियमावलियों को निरसित कर मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026 की राज्य नियमावली को लागू किया जाना अपरिहार्य है।

मजदूरी संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार सभी नियोजनों में श्रमिकों के श्रेणी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकेगी। सभी असंगठित एवं संगठित श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होगी। कामगारों को तय समय सीमा के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होगा।

संहिता में Web based inspection system का प्रावधान लाया गया है, जिससे निरीक्षण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता आयेगी। साथ ही अधिकारियों की जबाबदेही निर्धारित हो सकेगी।

मजदूरी संहिता के अन्तर्गत निरीक्षक –सह– सुकारक की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। सुकारक के रूप में अधिकारी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करेंगे।

18/6/2026

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

(38)

पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा–मोकामा खास, थाना सं0–30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4(ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति के संबंध में।

पटना जिला का मोकामा शहर गंगा नदी के किनारे तीन प्राचीन जनपदों अंग, मगध और मिथिला के संगम स्थल पर अवस्थित है और नदी के उस पार अवस्थित सिमरिया घाट पर नियमित अंतराल पर लगने वाले अर्ध कुंभ मेले का प्रवेश द्वार है। इस प्रकार यह शहर सदियों से पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है।

वर्णित परिपेक्ष्य में मंत्रिपरिषद् द्वारा पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा–मोकामा खास, थाना सं0–30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4(ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना

राज्य में निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारिता क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा नई चीनी मिलों की स्थापना/बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरूद्धार/गन्ना पर आधारित उद्योगों/डिस्टीलरी/इथनॉल/सह–विद्युत/कम्प्रेस्ड बॉयोगैस प्लान्ट उत्पादन इकाई की स्थापना एवं वर्तमान चीनी मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योग के क्षमता विस्तार, डिस्टीलरी, इथनॉल एवं सह–विद्युत उत्पादन इकाइयों के क्षमता विस्तार हेतु बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 की घोषणा की गई है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)

प्रेस नोट

बिहार राज्य की काराओं हेतु कक्षपाल के नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिको के लिए लागू 25 प्रतिशत आरक्षण को वर्गीकृत करते हुए 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा 12.5 प्रतिशत पद बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने हेतु *"बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026"* के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी है।

24.06.2026

सरकार के अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)
गृह विभाग (कारा)
बिहार, पटना।

41

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस–नोट

राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वेतन स्तर–07 का 01 (एक) अतिरिक्त पद के सृजन करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

42

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

बिहार में पर्यटकीय संरचनाओं के विकास हेतु हुडको (HUDCO- Housing and Urban Development Corporation) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 5,000 करोड़ (पाँच हजार करोड़) रूपये वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत करने के संबंध में।

बिहार पर्यटन नीति, 2023 के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित विभिन्न रणनीतियों के अन्तर्गत आधारभूत पर्यटकीय संरचना यथा– पर्यटकों की सुविधा हेतु सितारा होटलों, कन्वेंशन सेन्टर, मार्गीय सुविधा, स्मार्ट ट्वॉयलेट, वाई–फाई जोन, वाटर एटीएम, स्मार्ट पार्किंग एवं कनेक्टिविटी का विकास किया जाना है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं पर्यटकीय आधारभूत संरचना विकास के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को हुडको (HUDCO- Housing and Urban Development Corporation) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकार की गारंटी पर वित्त पोषण प्राप्त किया जायेगा। उक्त विकासात्मक कार्य से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगा तथा राज्य में रोजगार भी उत्पन्न होगा।

मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार में पर्यटकीय संरचनाओं के विकास हेतु हुडको (HUDCO- Housing and Urban Development Corporation) एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 5,000 करोड़ (पाँच हजार करोड़) रूपये वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

24/6/24

43

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास हेतु ₹1,00,000 करोड़ (एक लाख करोड़ रुपये) का दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए हडको के साथ मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिग (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे टाउनशिप का योजनाबद्ध विकास के लिए वित्तीय प्रबंध किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप टाउनशिप क्षेत्र में सुनियोजित अवसंरचना एवं आधुनिक सुविधाओं के विकास होगा, जिससे निजी निवेश आकर्षित होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, रोजगार सृजन तथा आसपास के क्षेत्रों का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

56

49

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण को विनियमित करने हेतु "बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण, नियमावली 2026" के गठन का निर्णय लिया गया है। नियमावली अधिसूचित होने के उपरांत शिक्षकों का पोर्टल आधारित और नियमबद्ध तरीके से स्थानान्तरण हो सकेगा। स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति–पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों आदि के मानवीय आधार पर शिक्षकों विशेषकर महिला शिक्षकों का गृह पंचायत छोड़कर अपने प्रखण्ड के अन्तर्गत निकटवर्ती पंचायत में तथा पुरूष शिक्षकों को गृह प्रखण्ड को छोड़कर जिले के अन्दर निकटवर्ती प्रखण्ड में पदस्थापन किया जा सकेगा। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ आवश्यकतानुसार पदस्थापन किया जा सकेगा, जिससे शिक्षक–छात्र अनुपात में सुधार होगा। शिक्षकों का संतुलित वितरण होने से विद्यालयों में शिक्षण कार्य बेहतर ढ़ंग से संचालित होगा। शिक्षकों की वास्तविक कठिनाईयों और व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार कर ही स्थानान्तरण किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के कल्याण, विद्यार्थियों के हित एवं विद्यालयों की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए स्थानान्तरण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

५२

प्रेस नोट

बिहार सरकार
गृह विभाग(विशेष शाखा)
बिहार, पटना।

दिनांक–17.06.2026 को भोजपुर जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम मेंहुई पुलिस कार्रवाई की घटना की न्यायिक जाँच हेतु न्यायिक जाँच आयोग के गठन के संबंध में मंत्रिपरिषद्की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(कुन्दन कुमार)
सरकार के सचिव
गृह विभाग।